न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री विजयराज पुत्र श्री सरदारमलजी, जाति- माली, निवासी- कैलाशनगर, तह. शिवगंज

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, कैलाशनगर, तह. शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 69/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवड़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 31 अक्टूम्बर, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा प्रकरण संख्याः 03/2018 में पारित निर्णय दिनांक 21.6.2018 बाबत ग्राम कैलाशनगर, पटवार हल्का कैलाशनगर के खसरा संख्या 3331 रकबा 3 बिस्वा 10 विस्वांसी किस्म नदी भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध पेश की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का संवत 2074 में अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का निर्णय पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पहले हल्का पटवारी के बयान कलमबद्ध नही किये है, केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि खसरा संख्या 3331 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में से रकबा 500 वर्गगंज भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत संग्रह स्थल हेतु अस्थाई तौर पर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 25.7.1994 को आवंटन किया गया था तथा अपीलार्थी उक्त आवंटित भूमि पर काबिज है, इसलिये अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी नही माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि विवादित भूमि की किस्म जमाबंदी दिनांक 22.5.1977 में नदी दर्ज नही होकर पडत दोयम थी तथा न ही मौके पर कोई नदी है। अपीलार्थी ने उक्त आवंटित भूमि पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि का उपयोग व

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उपभोग वर्ष 1994 से किया जा रहा है, इस प्रकार विवादित भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा है तथा अपीलार्थी अपने पुराने कब्जे के आधार पर विवादित भूमि का राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार नियमन करने का अधिकारी है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल के विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, कैलाशनगर द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम कैलाशनगर के खसरा संख्या 3331 रकबा 3 बिस्वा 10 विस्वांसी किस्म नदी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कुर्सी लेवल तक नीवं निर्माण कार्य करने बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित हुआ एवं अतिक्रमण करना स्वीकार किया। विवादित भूमि की किस्म नदी है, जिसका आवंटन या नियमन नही किया जा सकता है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, कैलाशनगर द्वारा संवत 2074 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम कैलाशनगर के खसरा संख्या 3331 रकबा 3 बिस्वा 10 विस्वांसी किस्म नदी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कुर्सी लेवल तक नीवं भरकर निर्माण कर कब्जा करने बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायलय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि की किस्म नदी है तथा नदी किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन नही किया जा सकता है। जलग्रहण क्षेत्र व जलबहाव क्षेत्र की भूमि का आवंटन आरम्भत: शून्य है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही